/

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देसूरी

पीठासीन अधिकारी– राजलक्ष्मी गहलोत (RAS)

राजस्व विविध मुकदमा संख्या–06 / 2009
आरसीएमएस– 2009 / 00026
तारीख निर्णय– 26 / 02 / 2020

प्रार्थी :–

मोहनलाल पुत्र ताराचंदजी, जाति– मेगवंशी, निवासी– सादडी, तहसील– देसूरी, जिला– पाली (राज0)

–: विरूद्ध :–

अप्रार्थी :–

राजस्थान सरकार जरिये–तहसीलदार, देसूरी (लैण्ड होल्डर)

–: प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136राज0भू–राजस्व अधि0 :–

उपस्थिति–

प्रार्थी की ओर से– वकील श्री दिव्य प्रकाश त्रिवेदी।
अप्रार्थी की ओर से– सरकारी पैरोकार

–: निर्णय :– **दिनांक– 26 / 02 / 2020**

प्रकरण हाजा के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि– प्रार्थी द्वारा अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत एक प्रार्थना–इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि–ग्राम– सादडी चक–2 तहसील–देसूरी मे स्थित आराजी पुराने खसरा नम्बर– 1637 रकबा– 3 बीघा 11 बिस्वा लगान 1.50 जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक– 13/9/82 को खरीद की थी तब से वादी उक्त आराजी का खातेदार काश्तकार है। पुरानी जमाबंदी विवादित आराजी, पंजीकृत विक्रय विलेख व नयी जमाबंदी व मिलान क्षेत्रफल की नकल वाद हाजा के साथ प्रस्तुत है उक्त आराजी के नये नबर– 5229 पडे है। वादी ने जो भूमि खरीद की उसका रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा है जिसका रकबा हैक्टर मे 0.57 हैक्टर होता है। वादी की खातेदारी मे मात्र 0.52 हैक्टर ही आराजी दर्ज हुई है जबकि वादी 0.57 हैक्टर पर काबिज है व नक्शा ट्रेस की लम्बाई बाई चौडाई से भी वादी के खाते मे 0.57 हैक्टर जमीन है पर पर्चा लगान बना तब 0.05 हैक्टर जमीन कम दर्ज कर दी जबकि कब्जा वादी का 0.57 हैक्टर पर है व इसी अनुरूप काबिज है अतः वादग्रस्त आराजी ग्राम सादडी चक–2 तहसील देसूरी के खसरा नम्बर– 5229 रकबा– 0.57 हैक्टर खातेदारी की पुराने रेकर्ड के आधार दर्ज किये जाकर दुरस्ती करने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 14:46:01 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 02 पर....

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से जबाब प्रस्तुत किया जो शामिल मिशल किया गया। अप्रार्थी की ओर से जबाब पेश कर निवेदन किया कि वादी ने उक्त भूमि रजिस्टर्ड दस्तावेज से कय की थी परन्तु भूमि पैमाईश पूर्व में उसके नाम दर्ज नही हुई। अतः प्रार्थी को पूर्व खातेदार मानना न्यायोचित नही है। साथ ही रकबा किस खसरा में से 0.05 हैक्टर कम कर दिया जावें प्रार्थी ने स्पष्ट नही किया है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 136 का खारिज फरमावें।

बहस वकुलाय उभय पक्षकार सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजी पुराने खसरा नम्बर– 1637 रकबा– 3 बीघा 11 बिस्वा बजरिये बेचान दस्तावेज दिनांक–13/09/1982 के खरीदना बताया है। अतः उक्त कय दिनांक 13.09.1982 के पश्चात् प्रार्थी उक्त कय सुदा आराजी का रिकार्डेड खातेदार होना न तो बताया गया है एवं उक्त भूमि रजिस्टर्ड दस्तावेज से कय की थी परन्तु भूमि पैमाईश पूर्व में उसके नाम दर्ज नही हुई। अतः प्रार्थी को पूर्व खातेदार मानना न्यायोचित नही है।

प्रार्थी द्वारा पुराने खसरा नम्बर से नये बने खसरा नम्बर– 5229 रकबा– 0.57 हैक्टर खातेदारी की पुराने रेकर्ड के बराबर दर्ज किये जाने का निवेदन किया है परन्तु प्रार्थी द्वारा यह भी साबित नही किया गया है कि नये खसरा नम्बर– 5229 का रकबा– 0.57 हैक्टर दर्ज किये जाने पर रकबा– 0.05 हैक्टर किस खसरा मे से कम किया जावे।

धारा– 136 राज0भू–राजस्व अधिनियम के तहत केवल लिपिकीय त्रुटि को सुधारा जा सकता है एवं प्रार्थी ऐसी अविवादित इन्द्राज की लिपिकीय लिपिकीय त्रुटी होना साबित नही करवा पाया है एवं धारा– 136 के तहत खातेदारी अधिकार प्रदत्त नही किये जा सकते है। अतः प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को साबित नहीं कर पाया। न्यायालय की राय मे प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र हस्ब धारा– 136 राज0 भू–राजस्व अधि0 1956 के तहत आवृत नही होने कानूनन स्वीकार योग्य नही है।

–: आदेश :–

अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना–पत्र हस्ब धारा– 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

निर्णय आज दिनांक 26.02.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 14:46:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)